Ref. No. UOU/R/का.परि./46/2026/2110
Date: 04 नवम्बर, 2026

सेवा में,

1. प्रोफेसर बी0एस0 राजपूत, (पूर्व कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल), I-II गामा-2 ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
2. प्रोफेसर योजना रावत, डायरेक्टर रिसर्च, यूनिवर्सिटी ऑफ ओपन लर्निंग, पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़।
3. श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला, अध्यक्ष, हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, नवाबी रोड, हल्द्वानी।
4. डॉ0 अजय कुमार गुप्ता, सीईओ, सेंचुरी पल्प एण्ड पेपर मिल्स लि0, लालकुआँ, नैनीताल।
5. प्रोफेसर शची शाह, SOITS, इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (नामित प्रतिनिधि कुलपति, इग्नू, नई दिल्ली)।
6. श्री प्रदीप मोहन नोटियाल, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून (नामित प्रतिनिधि, सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून)।
7. प्रोफेसर रेनू प्रकाश, निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
8. प्रोफेसर जीतेन्द्र पाण्डेय, निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
9. प्रोफेसर पी0डी0 पंत, निदेशक, भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
10. डॉ0 हरीश चन्द्र जोशी, सह-प्राध्यापक, वानिकी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
11. डॉ0 नीरजा सिंह, सहायक प्राध्यापक, समाज कार्य, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
12. श्री सूर्य प्रताप सिंह, वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।
13. प्रोफेसर सोमेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्याल, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।

महोदय/महोदया,

दिनांक 30 अक्टूबर, 2026 (शुक्रवार) को सम्पन्न उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की **कार्य परिषद** की **47वीं** बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कार्यवृत्त में यदि कोई संशोधन हो तो, कृपया अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि कार्यवृत्त की पुष्टि के समय प्रस्तावित संशोधन को संज्ञान में लेते हुए यथा आवश्यक परिवर्तन/संशोधन किया जा सके।

भवदीय,

(खेमराज भट्ट)
कुलसचिव/ सदस्य सचिव, कार्य परिषद

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को माननीय कुलाधिपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. कुलपति जी के वैयक्तिक अधिकारी को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

(खेमराज भट्ट)
कुलसचिव/ सदस्य सचिव, कार्य परिषद

दिनांक 30 अक्टूबर, 2026 (शुक्रवार) को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में प्रातः 11.30 बजे विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में सम्पन्न कार्य परिषद की 47वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. प्रोफेसर नवीन चन्द्र लोहनी, — अध्यक्ष
   कुलपति,
   उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

2. श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला, — सदस्य
   अध्यक्ष,
   हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, हल्द्वानी।

3. प्रोफेसर बी0एस0 राजपूत, — सदस्य
   (पूर्व कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल),
   I-II गामा-2 ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
   (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया)

4. श्री प्रदीप मोहन नोटियाल, — सदस्य
   संयुक्त सचिव,
   उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
   (प्रतिनिधि- सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून)
   (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया)

5. प्रोफेसर शची शाह, — सदस्य
   SOITS,
   इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
   (प्रतिनिधि-कुलपति, इग्नू, नई दिल्ली)
   (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया)

6. प्रोफेसर योजना रावत, — सदस्य
   डायरेक्टर रिसर्च,
   यूनिवर्सिटी ऑफ ओपन लर्निंग, पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़।
   (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया)

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

7. डॉ0 अजय कुमार गुप्ता, — सदस्य
सीईओ,
सेंचुरी पल्प एण्ड पेपर मिल्स लि0, लालकुआँ, नैनीताल।
(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया)

8. प्रोफेसर रेनू प्रकाश, — सदस्य
निदेशक,
समाज विज्ञान विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

9. प्रोफेसर जीतेन्द्र पाण्डेय, — सदस्य
निदेशक,
कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

10. प्रोफेसर पी0डी0 पंत, — सदस्य
निदेशक, भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

11. डॉ0 हरीश चन्द्र जोशी, — सदस्य
सह-आचार्य, वानिकी,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

12. डॉ0 नीरजा सिंह, — सदस्य
सहायक आचार्य, समाज कार्य,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

13. श्री खेमराज भट्ट, — सदस्य सचिव
कुलसचिव,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

14. श्री सूर्य प्रताप सिंह, — आमंत्रित सदस्य
वित्त अधिकारी,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया)

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

15. प्रोफेसर सोमेश कुमार, आमंत्रित सदस्य
परीक्षा नियंत्रक,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव, कार्य परिषद द्वारा अध्यक्ष, कार्य परिषद तथा ऑनलाइन/ ऑफलाइन उपस्थित समस्त माननीय सदस्यों का कार्य परिषद की 47वीं बैठक में स्वागत किया गया। सदस्य सचिव द्वारा समस्त सदस्यों/आमंत्रित सदस्यों का परिचय देते हुए कार्य परिषद की बैठक में उपस्थित, बाह्य सदस्यों का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया गया।

तदुपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा बैठक में स्वंय उपस्थित बाह्य सदस्य श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला तथा आभासीय **(Online)** माध्यम से उपस्थित प्रोफेसर बी0एस0 राजपूत, प्रोफेसर योजना रावत, डॉ0 अजय कुमार गुप्ता, श्री प्रदीप मोहन नोटियाल, संयुक्त सचिव (प्रतिनिधि, सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून), तथा प्रोफेसर शची शाह (प्रतिनिधि, कुलपति, इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली) का विशेष आभार व्यक्त करते हुए समस्त सदस्यों/आमंत्रित सदस्यों का कार्य परिषद की 47वीं बैठक में स्वागत किया गया।

तद्क्रम में सदस्य सचिव, कार्य परिषद द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यसूची में सम्मिलित प्रत्येक प्रस्ताव को परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। कार्य परिषद द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव का अवलोकन कर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से समस्त प्रस्तावों पर निम्नवत् अनुमोदन प्रदान किया गया:-

प्रस्ताव संख्या 47.01- कार्य परिषद की 46वीं बैठक दिनांक 04.08.2026 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि परिषद की 46वीं बैठक दिनांक 04.08.2026 का कार्यवृत्त विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-यू0ओ0यू0/आर/कार्य0परि0/46/2026/2110, दिनांक 19.08.2026 द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों के मध्य इस अनुरोध के साथ परिचालित किया गया था कि यदि कार्यवृत्त के किसी बिंदु पर असहमति हो, किसी मद में कोई अंश छूट गया हो, अथवा कोई संशोधन अपेक्षित हो तो यथासमय विश्वविद्यालय को अवगत करा दिया जाय। तदनुसार परिचालित कार्यवृत्त पर कोई संशोधन/असहमति प्राप्त नहीं हुई है।

निर्णय- ***कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव से अवगत होते हुए पुनरावलोकन के उपरान्त सर्वसम्मति से 46वीं बैठक दिनांक 04 अगस्त, 2026 के कार्यवृत्त की पुष्टि करते हुए यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।***

प्रस्ताव संख्या 47.02- कार्य परिषद की 46वीं बैठक दिनांक 04.08.2026 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

कार्य परिषद की 46वीं बैठक दिनांक 04.08.2026 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही में सम्मिलित समस्त प्रस्तावों पर हुई कार्यवाही से सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को विस्तार से अवगत कराया गया।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

निर्णय:- *कार्य परिषद द्वारा कृत कार्यवाही में सम्मिलित समस्त प्रस्तावों का अवलोकन कर, विश्वविद्यालय द्वारा की गई कृत कार्यवाही पर सहमति व्यक्त करते हुए सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।*

प्रस्ताव संख्या 47.03- विश्वविद्यालय में एकादश दीक्षान्त समारोह आयोजित किए जाने की सूचना एवं दीक्षान्त समारोह में शैक्षणिक सत्र 2025-2026 में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को उपाधियां व स्वर्ण पदक प्रदान किए जाने के संबंध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय 10 में विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष एक बार दीक्षांत समारोह आयोजित किए जाने की व्यवस्था है। इस परिनियम के अन्तर्गत विनिर्मित अध्यादेश के अध्याय ग्यारह में भी दीक्षान्त समारोह आयोजित किए जाने से संबंधित विस्तृत उल्लेख है।

परिनियमावली की उक्त व्यवस्थानुसार विश्वविद्यालय का एकादश दीक्षान्त समारोह **दिनांक 18 नवम्बर, 2026 (बुधवार)** को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। नियत तिथि के संबंध में माननीय श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या-34321/ जी0एस0(शिक्षा)/C7-19/2016, दिनांक 12 अक्टूबर, 2026 के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई है।

विश्वविद्यालय में **शैक्षणिक सत्र 2025-26** में पीएच0डी0(शोध उपाधि) में 07, स्नातक में **7,820,** स्नातकोत्तर में **7,036 एवं पी0जी0डी0जे0एम0सी0 में 01** शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। पीएच0डी0(शोध उपाधि)/स्नातक एवं स्नातकोत्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण **कुल 14864** शिक्षार्थियों को दीक्षान्त समारोह में उपाधियां एवं **36 स्वर्ण पदक** प्रदान किए जाने हैं, जिसमें **30** नियमित स्वर्ण पदक (07 स्नातक स्तर, 04 स्नातक स्तर (NEP) व 19 स्नातकोत्तर स्तर), **02** कुलाधिपति स्वर्ण पदक (01 स्नातक स्तर व 01 स्नातकोत्तर स्तर) तथा **04** प्रायोजित स्वर्ण पदक (Sponsored Madel) हैं जिनकी सूची प्रस्ताव के साथ **संलग्नक- 02** पर रक्षित है।

अत: उक्तानुसार **शैक्षणिक सत्र 2025-26** में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पी0जी0डी0जे0एम0सी0 स्तरों पर उत्तीर्ण **कुल 14857** शिक्षार्थियों एवं **07** शोध उपाधि धारकों **कुल 14864** शिक्षार्थियों को उपाधि एवं **34 स्वर्ण पदक** प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्ताव विद्या परिषद की 37वीं बैठक दिनांक 23 अक्टूबर, 2026 में प्रस्तुत किया गया था जिस पर विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया है। विद्या परिषद की संस्तुतियां इस कार्यसूची के प्रस्ताव संख्या-47.08 पर प्रस्तुत की गई हैं।

शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 34 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाने की सूची विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक द्वारा उपलब्ध कराई गई। विद्या परिषद की बैठक दिनांक 23 अक्टूबर, 2026 के उपरान्त स्नातकोत्तर स्तर पर 02 स्वर्ण पदक और जोड़े जाने के संबंध में परीक्षा नियंत्रक द्वारा सूची उपलब्ध कराई गई है। स्वर्ण पदक विजेताओं की सूची के अनुसार स्नातकोत्तर स्तर पर कुल 19 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाने है।

अत: उक्तानुसार **शैक्षणिक सत्र 2025-26** में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पी0जी0डी0जे0एम0सी0 स्तरों पर उत्तीर्ण **14857** शिक्षार्थियों एवं **07** शोध उपाधि धारकों **कुल 14864** शिक्षार्थियों को उपाधि एवं **36 स्वर्ण पदक** प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

निर्णय:- *कार्य परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। तदुपरान्त माह नवम्बर, 2026 में विश्वविद्यालय के एकादश दीक्षान्त समारोह आयोजित किए जाने के संबंध में विद्या परिषद की 37वीं बैठक दिनांक 23 अक्टूबर, 2026 द्वारा की गई संस्तुतियों के क्रम में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पी0जी0डी0जे0एम0सी0 स्तरों पर उत्तीर्ण 14857 शिक्षार्थियों एवं 07 शोध उपाधि धारकों कुल 14864 शिक्षार्थियों को उपाधि एवं 36 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही परिषद द्वारा दीक्षान्त समारोह आयोजित किए जाने से पूर्व तक होने वाले किसी भी प्रकार के संशोधन/समावेशन हेतु अध्यक्ष, कार्य परिषद को अधिकृत किया गया।*

प्रस्ताव संख्या 47.04- डॉ0 भूपेन सिंह, सहायक प्राध्यापक, पत्रकारिता एवं जनसंचार का जर्मनी के बोचुंम में फैलोशिप हेतु चयन होने के फलस्वरूप संबंधित द्वारा असाधारण अवकाश एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि डॉ0 भूपेन सिंह, सहायक प्राध्यापक, पत्रकारिता ने दिनांक 31 अगस्त, 2026 को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित पत्र द्वारा जर्मनी के बोचुंम में CAIS (Centre for Advanced Internet Studies) फैलोशिप में चयन होने के फलस्वरूप नवीन फैलोशिप हेतु दिनांक 24 मार्च, 2027 से दिनांक 07 अक्टूबर, 2027 तक असाधारण अवकाश स्वीकृत किए जाने एवं इस हेतु अनापत्ति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। डॉ0 भूपेन सिंह द्वारा इस निमित्त आमंत्रण-पत्र की प्रति भी संलग्न की गई है, जिसमें फैलोशिप कार्यक्रम की अवधि 01 अप्रैल, 2027 से 30 सितम्बर, 2027 है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि University of Sussex, England के विजिटिंग फैलोशिप कार्यक्रम हेतु डॉ0 भूपेन सिंह को कार्य परिषद के अनुमोदनोपरान्त दिनांक 15 सितम्बर, 2025 से दिनांक 07 अप्रैल, 2027 तक असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है। असाधारण छुट्टी के संबंध में विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 32(5) में वर्णित व्यवस्था निम्नवत् है:-

> "असाधारण छुट्टी बिना वेतन के होगी। यह प्रारम्भ में ऐसे कारणों से जिन्हें कार्य परिषद उचित समझे, तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए दी जा सकती है, किन्तु परिनियम 27 के खण्ड (22) में उल्लिखित परिस्थितियों के सिवाय, यह विशेष परिस्थितियों के अधीन दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है।"

डॉ0 भूपेन सिंह को दिनांक 07 अप्रैल, 2027 तक कार्य परिषद द्वारा असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है, किन्तु उनके द्वारा जर्मनी के बोचुंम में फैलोशिप हेतु दिनांक 24 मार्च, 2027 से दिनांक 07 अक्टूबर, 2027 तक असाधारण अवकाश स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है। तद्क्रम में प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:- *प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्य परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त डॉ0 भूपेन सिंह के जर्मनी के बोचुंम में फैलोशिप हेतु दिनांक 24 मार्च, 2027 से दिनांक 07 अक्टूबर, 2027 तक असाधारण अवकाश स्वीकृत किए जाने के अनुरोध को अस्वीकृत*

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया कि- डॉ0 भूपेन सिंह को, परिषद द्वारा पूर्व में University of Sussex, England के विजिटिंग फैलोशिप कार्यक्रम हेतु स्वीकृत असाधारण अवकाश की अवधि पूर्ण करने के उपरान्त विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। तत्पश्चात अन्य संस्थान के लिए असाधारण अवकाश हेतु आवेदन किया जा सकता है, जिसे कार्य परिषद की अनुमति से प्रदान किया जाएगा।

प्रस्ताव संख्या 47.05- कैरियर अभिवर्धन योजना के अन्तर्गत प्रोफेसर कमल देवलाल, प्राध्यापक, भौतिकी **की अकादमिक स्तर 14 में** प्रोन्नति की पात्रता तिथि में संशोधन किए जाने की सूचना/अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि कैरियर अभिवर्धन योजना के अन्तर्गत डॉ0 कमल देवलाल, प्राध्यापक(भौतिकी) की यूजीसी विनियम, 2023 के प्रावधान 6.3 के आलोक में अधिवक्ता द्वारा दिए गए विधिक परामर्श के क्रम में प्राध्यापक (अकादमिक स्तर 14) में प्रोन्नति की पात्रता तिथि 07.09.2022 संशोधित की गई है। यूजीसी विनियम, 2018 के अन्तर्गत डॉ0 कमल देवलाल की अकादमिक स्तर 14 में प्रोन्नति की पूर्व तिथि 03.07.2024 रही है, जिसका अनुमोदन कार्य परिषद की 42वीं बैठक दिनांक 21.11.2024 में परिषद द्वारा दिया गया है।

विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित व्यवस्थानुसार- कार्य परिषद शैक्षणिक और शिक्षणेत्तर वर्ग की नियुक्ति को अनुमोदित करेगी तथा विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 29 (8) में प्राविधानित व्यवस्थानुसार संवीक्षा/चयन समिति की संस्तुतियां कार्य परिषद को विनिश्चय के लिए प्रस्तुत की जाएगी। तद्क्रम में डॉ0 देवलाल की अकादमिक स्तर-14 में प्रोन्नति हेतु तद्समय गठित चयन समिति की संस्तुति कार्य परिषद की 42वीं बैठक में अनुमोदित की गई है, किन्तु यूजीसी विनियम, 2023 के प्रावधान 6.3 के आलोक में उनकी अकादमिक स्तर 14 में प्रोन्नति की पात्रता तिथि को दिनांक 07.09.2022 से संशोधित किया गया है। अतएव डॉ0 कमल देवलाल की अकादमिक स्तर 14 में प्रोन्नति हेतु संशोधित पात्रता तिथि के संबंध में प्रस्ताव कार्य परिषद के सूचनार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:- *प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्य परिषद द्वारा यूजीसी विनियम, 2023 के प्रावधान 6.3 के अधीन कैरियर अभिवर्धन योजना के अन्तर्गत प्रोफेसर कमल देवलाल, प्राध्यापक, भौतिकी की अकादमिक स्तर 14 में प्रोन्नति की पात्रता तिथि को दिनांक 07.09.2022 से संशोधित किए जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।*

प्रस्ताव संख्या 47.06- विश्वविद्यालय में अल्पकालिक/अस्थाई आधार पर नियोजित कैमरामैन व वीडियो एडिटर के नियोजन के संबंध में सूचना।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय-तीन (धारा-11(1)) परिनियम 4(19) के अधीन प्रथम अध्यादेश के अध्याय-8 में वर्णित व्यवस्थानुसार कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्ण संचालन की आवश्यकता हेतु समय-समय पर अल्पकालिक नियुक्ति जो एक बार में छः माह से अनधिक हो, किए जाने का प्राविधान है। तद्क्रम में ऑन-लाइन पाठ्यक्रमों के निर्माण कार्यो का सुचारू संचालन

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

करने हेतु विश्वविद्यालय के ई0एम0पी0सी0 केन्द्र में समय-समय पर विश्वविद्यालय में कैमरामैन एवं वीडियो एडिटर का नियोजन किया जाता रहा है।

उक्त के क्रम में कैमरामैन एवं वीडियो एडिटर की छः माह की नियोजन अवधि **दिनांक 31 अगस्त, 2026** को पूर्ण होने के फलस्वरूप प्रभारी, ई0एम0पी0सी0 से प्राप्त कार्य मूल्यांकन आख्या पर कुलसचिव की संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालय प्रथम अध्यादेश के अध्याय-आठ(परिनियम 4(19)) के अधीन माननीय कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त **दिनांक 02 सितम्बर, 2026 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2026** तक की अवधि के लिए 01 कैमरामैन एवं 01 वीडियो एडिटर को नियोजित किया गया है। तद्क्रम में प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:- ***कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर कैमरामैन एवं वीडियो एडिटर के नियोजन हेतु प्रभारी, ई0एम0पी0सी0 से प्राप्त कार्य मूल्यांकन आख्या के आधार पर कुलसचिव द्वारा की गई संस्तुतियों पर विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश के अधीन कुलपति जी की स्वीकृति पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।***

प्रस्ताव संख्या 47.07- विश्वविद्यालय वित्त समिति की 22वीं बैठक दिनांक 03.09.2026 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय वित्त समिति की 22वीं बैठक दिनांक 03 सितम्बर, 2026 को सम्पन्न हुई है। समिति की संस्तुतियां प्रस्ताव के साथ संलग्न कर माननीय कार्य परिषद के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई हैं।

निर्णय:- ***कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न संस्तुतियों का अवलोकन कर विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 22वीं बैठक दिनांक 03 सितम्बर, 2026 की संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।***

प्रस्ताव संख्या 47.08- विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 37वीं बैठक दिनांक 23.10.2026 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 37वीं बैठक दिनांक 23 अक्टूबर, 2026 को सम्पन्न हुई है। समिति की संस्तुतियां प्रस्ताव के साथ संलग्न कर माननीय कार्य परिषद के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई हैं।

निर्णय:- ***कार्य परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से अवगत होते हुए विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 37वीं बैठक दिनांक 23 अक्टूबर, 2026 की संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।***

प्रस्ताव संख्या 47.09- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या 47.09.01- विश्वविद्यालय में पूर्व से गठित विभिन्न समितियों को पुनगर्ठित किए जाने एवं नवीन समितियों के गठन के संबंध में सूचना।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि माननीय कुलपति जी से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में विश्वविद्यालय में पूर्व से गठित विभिन्न समितियों को पुनगर्ठित एवं कुछ नवीन समितियों का गठन किए जाने की सूचना निम्नानुसार माननीय कार्य परिषद के सूचनार्थ प्रस्तुत की गई है:-

- निदेशालय, शोध एवं नवाचार का पुनर्गठन
- निदेशालय, क्षेत्रीय सेवाएं का पुनर्गठन
- निदेशालय, सामग्री उत्पादन और वितरण का पुनर्गठन

समितियों का गठन

- समझौता ज्ञापन समीक्षा समिति (एमओयू)
- साहित्यिक सांस्कृतिक समिति
- ग्रीन कैम्पस समिति
- प्रचार-प्रसार प्रकोष्ठ
- अतिथि गृह एवं बहुउद्देशीय सभागार समिति
- स्वच्छता समिति
- निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता एवं निरीक्षण समिति

निर्णय:- ***प्रस्तुत प्रस्ताव से कार्य परिषद अवगत हुई।***

प्रस्ताव संख्या 47.09.02- शोध पत्रिका 'विदुषी' के नाम में आंशिक संशोधन किए जाने के संबंध में सूचना।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रोफेसर रेनू प्रकाश, सम्पादक, शोध पत्रिका 'विदुषी' द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में स्थापित महिला अध्ययन केन्द्र के अन्तर्गत महिला मुद्दों पर आधारित शोध पत्रिका 'विदुषी' को प्रकाशित किए जाने पर विद्या परिषद की 34वीं बैठक दिनांक 21.02.2026 एवं कार्य परिषद की 45वीं बैठक दिनांक 13.03.2026 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि शोध पत्रिका 'विदुषी' का प्रकाशन किए जाने की प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। ISSN में आवेदन करते समय ज्ञात हुआ है कि 'विदुषी' नाम से पूर्व में एक शोध पत्रिका को ISSN नम्बर आवंटित किया जा चुका है। अतएव तकनीकी पहलुओं के दृष्टिगत 'विदुषी' शोध पत्रिका में आंशिक संशोधन कर पत्रिका का नाम **'विदुषी संवाद'** किया गया है। तद्क्रम में शोध पत्रिका 'विदुषी' के नाम में

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

आंशिक संशोधन कर **'विदुषी संवाद'** किए जाने के संबंध में प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:- *तकनीकी पहलुओं के दृष्टिगत शोध पत्रिका 'विदुषी' के नाम में आंशिक संशोधन कर 'विदुषी संवाद' किए जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान करते हुए भविष्य में 'विदुषी संवाद' पत्रिका में आंशिक संशोधन/समावेशन किए जाने हेतु माननीय अध्यक्ष, कार्य परिषद/ कुलपति जी को अधिकृत किया गया। शोध पत्रिका 'विदुषी संवाद' के संबंध में परिषद के कुछ सदस्यों द्वारा निम्नानुसार कुछ सुझाव प्रस्तुत किए गए :-*

1. प्रोफेसर योजना रावत द्वारा मत व्यक्त किया गया कि शोध पत्रिका 'विदुषी संवाद' का मुख्य स्वरूप ऑनलाइन करते हुए आवश्यकतानुसार कुछ प्रतियां प्रिन्ट कर ली जाय। साथ ही प्रोफेसर रावत द्वारा संबंधित पत्रिका के समीक्षा मण्डल में उनका नाम भी सम्मिलित किए जाने की इच्छा व्यक्त की गई।
2. प्रोफेसर शची शाह द्वारा सुझाव दिया गया कि शोध पत्रिका 'विदुषी संवाद' के सलाहकार समिति में राष्ट्रीय के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर के लोगों को भी सम्मिलित किया जाय।

प्रोफेसर योजना रावत एवं प्रोफेसर शची शाह द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर सहमति प्रदान करते हुए कार्य परिषद द्वारा भविष्य में शोध पत्रिका 'विदुषी संवाद' में उक्त सुझावों को सम्मिलित किए जाने पर सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 47.09.03- स्पेनिश, जापानी एवं चीनी भाषाओं में प्रमाण-पत्र कार्यक्रमों के समन्वयकों के मानदेय तथा पदनाम निर्धारित किए जाने हेतु विद्या परिषद द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा आगामी शैक्षणिक सत्र से स्पेनिश, जापानी एवं चीनी भाषाओं में प्रमाण-पत्र कार्यक्रम संचालित किए जाने प्रस्तावित हैं। संबंधित प्रमाण-पत्र कार्यक्रमों की पाठ्यक्रम सामग्री तैयार किए जाने हेतु संबंधित भाषाओं में विषय-विशेषज्ञों की आवश्यकता के दृष्टिगत पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करने वाले विशेषज्ञों का मानदेय तथा पदनाम निर्धारित किए जाने के संबंध में कार्यक्रम समन्वयक, अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाएं द्वारा एक प्रस्ताव विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 37वीं बैठक दिनांक 23 अक्टूबर, 2026 में प्रस्तुत किया गया था, जिस पर विद्या परिषद द्वारा इस हेतु एक समिति गठित करते हुए, गठित समिति की संस्तुतियां कार्य परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने का निर्णय पारित किया गया। विद्या परिषद द्वारा गठित समिति की दिनांक 29 अक्टूबर, 2026 को एक बैठक सम्पन्न हुई। तद्क्रम में समिति की संस्तुतियां माननीय कार्य परिषद के अवलोकनार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत की गई हैं।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

निर्णय:- *प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्य परिषद द्वारा स्पेनिश, जापानी एवं चीनी भाषाओं में प्रमाण-पत्र कार्यक्रम संचालित किए जाने हेतु पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करने वाले विशेषज्ञों का मानदेय तथा पदनाम निर्धारित किए जाने के संबंध में विद्या परिषद द्वारा गठित समिति की दिनांक 29 अक्टूबर, 2026 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया। संबंधित प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के दौरान परिषद की सदस्य प्रोफेसर योजना रावत द्वारा सुझाव दिया गया कि भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा फ्रेंच भाषा में भी कार्यक्रम संचालित किए जाने पर विचार किया जाय। तदक्रम में प्रोफेसर शची द्वारा मत व्यक्त किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा उक्त कार्यक्रमों के संदर्भ में 'जीका' के साथ एक एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर किए जाने पर भी विचार किया जा सकता है। संबंधित सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर परिषद द्वारा सहमति प्रदान की गई।*

प्रस्ताव संख्या 47.09.04- **विश्वविद्यालय में संचालित ऐसे कार्यक्रम जिनमें पंजीकृत कुल शिक्षार्थियों की संख्या 10 से कम है, के संबंध में विद्या परिषद की 36वीं बैठक दिनांक 31.07.2026 के क्रम में की जा रही कार्यवाही के संबंध में सूचना।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 36वीं बैठक दिनांक 31.07.2026 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना F.No.1-34/2024(DEB-I), 11.11.2024 के अनुपालन में कृषि एवं बागवानी (Agriculture & Horticulture) विषयों का संचालन विश्वविद्यालय में बन्द किए जाने के संबंध में विचार हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिस पर विद्या परिषद द्वारा कृषि एवं बागवानी कार्यक्रमों का संचालन बन्द करते हुए प्रभारी प्रवेश को निर्देशित किया गया कि- विश्वविद्यालय में संचालित ऐसे कार्यक्रम जिनमें शिक्षार्थियों की संख्या 10 से कम है, की समीक्षा कर प्रवेश की अन्तिम तिथि समाप्त होने के उपरान्त ऐसे कार्यक्रमों की सूची माननीय कुलपति जी को प्रस्तुत की जाय। तद्क्रम में माननीय कुलपति/अध्यक्ष विद्या परिषद के निर्देशानुसार ऐसे कार्यक्रम जिनमें शिक्षार्थियों की संख्या 10 से कम है, का संचालन नवीन शिक्षार्थियों हेतु स्थगित रखा जाय। विद्या परिषद के निर्देशानुसार प्रभारी प्रवेश द्वारा 27 कार्यक्रमों की सूची जिनमें पंजीकृत शिक्षार्थियों की कुल संख्या 9 या 9 से कम है, माननीय कुलपति जी को उपलब्ध कराई गई है। संबंधित कार्यक्रमों की उपयोगिता, आर्थिक तथा व्यावसायिक प्रभाव, परीक्षा संचालन में व्ययभार आदि का आकंलन किए जाने हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। गठित समिति की संस्तुतियां विद्या परिषद के माध्यम से आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाएंगी, तद्क्रम में प्रस्ताव कार्य परिषद के सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:- *प्रस्तुत प्रस्ताव से कार्य परिषद अवगत हुई। तद्क्रम में परिषद के सदस्यों द्वारा इस संबंध में निम्नानुसार कुछ सुझाव प्रस्तुत किए गए:-*

- **जिन कार्यक्रमों में पंजीकृत कुल शिक्षार्थियों की संख्या 10 से कम है, उन कार्यक्रमों की फीस कम किए जाने पर विचार किया जा सकता है।**
- **एन0जी0ओ0 के माध्यम से कार्यक्रमों को प्रायोजित किए जाने पर कार्य किया जा सकता है।**

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

- शिक्षार्थियों की संख्या में बढ़ोत्तरी के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर हर सम्भव प्रयास किया जाय, यदि फिर भी संख्या में संतोषजनक बढ़ोत्तरी ना हो तो, ऐसे कार्यक्रमों, जिनमें शिक्षार्थियों की कुल संख्या 10 से कम है, का संचालन बन्द कर दिया जाय। भविष्य में इन कार्यक्रमों को अन्य माध्यमों से संचालित किए जाने की सम्भावनाएं विकसित की जाय।
- जिन कार्यक्रमों की अध्ययन सामग्री तैयार है उसे कहीं और उपयोग किया जा सकता है।
- सिमका के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर कर नये कार्यक्रम आरम्भ किए जाने पर भी विचार किया जा सकता है।

प्रस्ताव संख्या 47.09.05- विज्ञापन संख्या- UOU/Add./R3/001/2026, दिनांक 08 अप्रैल, 2026 एवं विज्ञापन संख्या- UOU/Add./R3/002/2026, दिनांक 12 अप्रैल, 2026 के माध्यम से विज्ञापित सहायक प्राध्यापक पदों पर लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने के संबंध में अधिवक्ता द्वारा दिए गए विधिक परामर्श के संबंध में सूचना।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विज्ञापन संख्या- **UOU/Add./R3/001/2026,** दिनांक 08 अप्रैल, 2026 एवं विज्ञापन संख्या- UOU/Add./R3/002/2026, दिनांक 12 अप्रैल, 2026 के माध्यम से विज्ञापित सहायक प्राध्यापक के पदों पर चयन प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय- छः 'विश्वविद्यालय के अध्यापक' शीर्षक के अन्तर्गत परिनियम 25(13)अ- में सहायक प्राध्यापक पद पर चयन के लिए अंकों का निर्धारण किया गया है, जिसके ख. (ii) में 20 प्रतिशत अंकों के निर्धारण के लिए Demo Lecture की व्यवस्था प्राविधानित है। वर्ष 2011 में सहायक प्राध्यापक पदों की चयन प्रक्रिया में Demo Lecture के स्थान पर लिखित परीक्षा आयोजित की गई। लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने से पूर्व विश्वविद्यालय कार्य परिषद की तृतीय बैठक दिनांक 21 मई, 2011 में Recruitment Procedure के अन्तर्गत लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने के संबंध में निर्णय पारित किया गया। तदनुसार सहायक प्राध्यापक पदों की चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा आयोजित की गई। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा याचिका संख्या-152/2011(एस/बी) में दिए गए निर्णय एवं श्री राज्यपाल/कुलाधिपिति सचिवालय के पत्र दिनांक 27 सितम्बर, 2011 के अनुपालन में वर्ष 2011 से विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक पद हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की जाती रही है।

केवल वर्ष 2019 विज्ञापित पदों में कोविड-19 वैश्विक महामारी संक्रमित होने के कारण सहायक प्राध्यापक पदों के चयन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी। इस संबंध में विश्वविद्यालय ***कार्य परिषद की 28वीं बैठक दिनांक 16 सितम्बर, 2020 में परिषद द्वारा तद्समय सम्पूर्ण विश्व में कोविड-19 वैश्विक महामारी संक्रमित होने के कारण अन्य विश्वविद्यालयों की भांति उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में भी लिखित परीक्षा के स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम-2018 के तहत अर्हता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाने का निर्णय पारित किया गया।***

सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

सहायक प्राध्यापक के पदों पर पूर्व से प्रचलित व्यवस्थानुसार लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासनिक स्तर पर लिए गए निर्णयानुसार सहायक प्राध्यापक पदों पर चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने हेतु अधिवक्ता से विधिक राय ली गई है। अधिवक्ता द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय-छः परिनियम 25(14)3 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार एक पद के लिए 8 से कम अभ्यर्थी होने पर सीधे साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाने एवं अभ्यर्थियों की संख्या 8 से अधिक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने पर विधिक राय प्रस्तुत की गई है। तद्क्रम में सहायक प्राध्यापक पदों पर लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने के संबंध में अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक राय कार्य परिषद के सूचनार्थ प्रस्तुत की गई है।

निर्णयः- ***सहायक प्राध्यापक पदों पर लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने के संबंध में अधिवक्ता द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय-छः परिनियम 25(14)3 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार, स्क्रीनिंग के आधार पर एक पद के लिए उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों में से अधिकाधिक 8(1:8) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा एवं अभ्यर्थियों की संख्या 8 से अधिक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने के संबंध में प्रस्तुत विधिक राय से कार्य परिषद अवगत हुई। तद्क्रम में परिषद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय एवं श्री राज्यपाल/कुलाधिपिति सचिवालय के पत्र दिनांक 27 सितम्बर, 2011 के अनुपालन में विश्वविद्यालय में पूर्व से प्रचलित व्यवस्थानुसार लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने पर सहमति प्रदान करते हुए मत व्यक्त किया गया कि, विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली चयन प्रक्रियाओं में विश्वविद्यालय की परिनियमावली तथा यू0जी0सी0 विनियमों के अधीन कार्यवाही पूर्ण की जाय।***

कार्यसूची में सूचीबद्ध समस्त प्रस्तावों एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत अन्य प्रस्तावों पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदन के उपरान्त कार्य परिषद के सदस्य सचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों विशेषकर बाह्य सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सभी का आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अन्त में कार्य परिषद के समस्त माननीय सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर, बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव/सदस्य सचिव, कार्य परिषद

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति/अध्यक्ष, कार्य परिषद

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)